प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:14 दिसम्बर,2016**

विषय:- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में शासनादेश सं0-41/2016/1363/38-4-16-05(बजट)/2012,दिनांक 17-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17-10-2016 के प्रस्तर-02 के बिन्दु(2) में यह उल्लेख किया गया है कि- "मा0 सदस्य विधान परिषद हेतु मनोनीत मा0 सदस्यगणों द्वारा अपनी विधायक निधि हेतु जिस जनपद को नोडल जनपद घोषित किया गया है। वही जनपद लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु नोडल जनपद के रूप में होना चाहिए। मा0 सदस्य उसी जिले के लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराएंगे। "

3- उपर्युक्त व्यवस्था/प्राविधान के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश 17-10-2016 के प्रस्तर-02 के बिन्दु(2) में संशोधन करते हुए निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है-:

(1) <u>मा0 सदस्य विधान परिषद्</u>:-

एक से अधिक जिलों से आच्छादित विधान परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रों से चुने हुए सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले कुल 10 पात्र लाभार्थियों की सूची नोडल जनपद जिसे अपनी विधायक निधि हेतु नोडल जनपद घोषित किया गया है, के जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। नोडल जिले के जिलाधिकारी द्वारा अन्य जिले से संबंधित लाभार्थियों की सूची उस जनपद के जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। इस हेतु उनके द्वारा उस जनपद को कोई लक्ष्य/धनराशि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी अपितु लक्षित जनपद द्वारा उसी जनपद के जिलाधिकारी के कोटे से उक्त सूची के सापेक्ष लाभार्थियों को लोहिया ग्रामीण आवास उपलब्ध कराये जायेंगे।

(2) <u>मा0 सदस्य विधान सभा (जिनके निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जनपद में पड़ते हैं)</u>:-

उपरोक्त प्रस्तर-3 (1) के सदृश ही कार्यवाही की जायेगी।

(3) <u>मा0 मनोनीत सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद</u>:-

मा0 मनोनीत सदस्य प्रदेश के किसी भी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले कुल 10 पात्र लाभार्थियों की सूची लोहिया ग्रामीण आवास आवंटन हेतु नोडल जनपद जिसे अपनी विधायक निधि हेतु नोडल जनपद घोषित किया गया है, के जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। नोडल जिले के जिलाधिकारी द्वारा अन्य जिले से संबंधित लाभार्थियों की सूची उस जनपद के जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। इस हेतु उनके द्वारा उस जनपद को कोई लक्ष्य/धनराशि हस्तान्तरित नहीं की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगी, अपितु लक्षित जनपद द्वारा उसी जनपद के जिलाधिकारी के कोटे से उक्त सूची के सापेक्ष लाभार्थियों को लोहिया ग्रामीण आवास उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- उपर्युक्तानुसार मा0 सदस्य विधान परिषद्/विधान सभा के द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास आवंटन हेतु संस्तुत कुल लाभार्थियों की संख्या अधिकतम 10 ही होगी। यदि जनपद का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है एवं मा0 सदस्यगण द्वारा संस्तुत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवासों की संख्या कम पड़ती है तो जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त लक्ष्य की मांग आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 से की जायेगी। आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

5- नोडल जिले के जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मा0 सदस्यगण द्वारा संस्तुत कुल 10 पात्र लाभार्थियों को ही आवास आवंटित किये गये हैं। समस्त जिलाधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मा0 सदस्यगण द्वारा संस्तुत 10 लोहिया ग्रामीण आवासों का आवंटन मा0 सदस्यगण के निर्वाचन क्षेत्रों से आच्छादित जिलों के पात्र लाभार्थियों/निवासियों को ही किया गया है।

6- कृपया उपर्युक्तानुसार स्पष्ट की गयी स्थिति एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या-51/2016/ 1785(1)/38-4-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
8- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10-समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
11-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12-समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
13-समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14-निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
15-नेशनल इन्फार्मेशन सेण्टर, उ0 प्र0 राज्य शाखा योजना भवन, लखनऊ।
16-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
श्रीश चन्द्र वर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।